समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में दिनांक 08.04.2016 को सम्पन्न हुई विधि–व्यवस्था संबंधी बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थिति – पंजी के अनुसार।

2. कार्यवाहीः–

3. पंचायत आम निर्वाचन–2016

- अभी तक 5 प्रखंडों में पंचायत चुनाव की तैयारी की समीक्षा की गयी है और समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि अभी बहुत से कार्य किये जाने शेष है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष निर्वाचन के कार्यों में तेजी लाना सुनिश्चित करें।
- मतदान केन्द्रों की संवेदनशीलता की समीक्षा कर एवं संवेदनशील मतदान केन्द्रों की सूची, मतदान केन्द्र के संवेदनशील होने के कारण के साथ अविलंब समर्पित करना सुनिश्चित करें।
- मतदान केन्द्रवार निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- यदि पूर्व में किसी मतदान केन्द्र पर या उसके आस–पास के क्षेत्र में अथवा गॉव में निर्वाचन के दौरान मार–पीट की घटना हुई हो तो इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सी0सी0ए0–3 का प्रस्ताव अविलंब समर्पित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अन्य गुण्डा तत्वों, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हों, को भी चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध सी0सी0ए0–3 का प्रस्ताव अविलंब समर्पित करना सुनिश्चित करें।
- थानाध्यक्ष सी0सी0ए0 के नोटिस का तामिला अविलंब करवा कर तामिला प्रतिवेदन जिलाधिकारी, दरभंगा को भेजना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।
- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की गति अत्यंत धीमी है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष क्षेत्रों का सघन भ्रमण करते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के शत् प्रतिशत मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें एवं वहॉ न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
- शत् प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर मतदान केन्द्र का नाम सहित अन्य विवरणी अविलंब अंकित करवाना सुनिश्चित करें।
- प्रखंड स्तर पर डिस्पैच केन्द्र, बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र का निर्धारण करते हुए वहॉ आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें।
- पंचायत चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस बलों को मतदान केन्द्रों पर ससमय पहुँचवाने की व्यवस्था संबंधित थानाध्यक्ष करेंगे।
- हरेक उम्मीदवार एवं उनके परिवार के सदस्यों का क्रिमनल बैक ग्राउण्ड थानाध्यक्ष पता करें एवं तद्नुसार निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर जाने से रोकने वालों का आकलन करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई पूर्व में ही सुनिश्चित करें।
- निर्वाचक सूची एवं मतपत्र का विखंडीकरण ससमय सुनिश्चित करावें।
- पर्याप्त संख्या में वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

- वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो निर्धारित पता पर नहीं रह रहे हैं/जिनकी मृत्यु हो गयी है/जो लम्बी अवधि से शस्त्र का कय नहीं कर रहे हैं, ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रस्ताव दें एवं उनका शस्त्र जमा करवाना सुनिश्चित करें।
- अवैध शस्त्रों एवं छिपा कर रखे गये शराब की बरामदगी सुनिश्चित करें।
- प्रखंड स्तर की संचार योजना तैयार करें एवं इसमें आदर्श आचार संहिता के बिन्दुओं की भी चर्चा करते हुए इसे छपवा कर प्रत्याशियों को उपलब्ध करावें।
- प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष का संचालन सुनिश्चित करें एवं इसमें पंजी संधारित कर प्राप्त शिकायतों को पंजी में अंकित करवाना एवं इसका निष्पादन सुनिश्चित करावें।
- मतदान दलों को दी जाने वाली राशि के वितरण की तैयारी सुनिश्चित करें। प्राप्त मतपेटिकाओं का नम्बरिंग करवाना सुनिश्चित करें एवं यदि मतपेटिका कम है तो उसकी मॉग अविलंब जिला पंचायती राज पदाधिकारी से करें।
- पंचायत निर्वाचन में संलग्न सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मचारी निष्पक्ष भाव से पंचायत निर्वाचन का कार्य करें, अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
- अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने–अपने अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड/थाना स्तर पर पंचायत कार्यों की समीक्षा करें एवं सभी बिन्दुओं पर कार्रवाई में तेजी लाना सुनिश्चित करें।
- पिछले तीन पंचायत चुनावों में दरभंगा जिला में पुनर्मतदान नहीं हुआ है। सभी मिलकर यह प्रयास करें कि इस बार भी पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न न हो।

4. **शराब बंदी**

- बिहार सरकार द्वारा हरेक प्रकार के शराब पर पाबंदी लगायी जा चुकी है। प्रखंड स्तर पर प्रत्याशियों के साथ आयोजित बैठक में व्यापक रूप से नए उत्पाद अधिनियम के आलोक में की जाने वाली कार्रवाई से प्रत्याशियों को अवगत कराया जा रहा है। परन्तु शराब बंदी को लागू करने हेतु व्यापक रूप से कार्रवाई की आवश्यकता है। थानाध्यक्षों को छिपाकर रखे गये शराबों की बरामदगी एवं गिरफ्तारी का निदेश दिया गया।

5. **आगामी पर्व त्योहार**

- आगामी कुछ दिनों में चैती दुर्गा पूजा, रामनवमी एवं चैती छठ का त्योहार आने वाला है।
- रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर निकलने वाले कलश यात्रा के लिए सभी रूटों का सत्यापन करें।
- सभी जुलूसों के लिए लाईसेन्स निर्गत करें। बिना लाईसेंस के एक भी जुलूस नहीं निकले इसे सुनिश्चित करें।
- यदि कोई जुलूस का रूट विवादित है तो वहॉ शांति समिति की बैठक जुलूस से पहले ही सुनिश्चित करें।
- जहॉ–जहॉ पूर्व में कोई घटना घटित हुई है, वहॉ निश्चित रूप से पूजा समिति/अखाड़ा के साथ शांति समिति की बैठक कर लें। इसके अतिरिक्त थाना स्तर पर दो दिनों के अन्दर शांति समिति की बैठक कर लें।
- रामनवमी के अवसर पर कोई भी विवादित झॉकी का प्रदर्शन न हो, इसे सुनिश्चित करावें।
- डी0जे0 बजाने की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर को केवल 6.00 बजे पूर्वा0 से 10.00 बजे रात्रि तक ही अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से निर्धारित डेसीबल पर बजाया जा सकता है। सभी थानाध्यक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करावें। यदि किसी के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज करावें।

- उपरोक्त त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरते क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर असमाजिक तत्वों द्वारा इन त्योहारों के दौरान अपने लाभ के लिए अशांति फैलायी जा सकती है।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष आपस में समन्वय रखें।

6. अतिक्रमण

- सड़क पर भवन निर्माण सामग्री गिरवाया दिया जाता है, परन्तु अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा मामला पाया जाने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- हर अंचलाधिकारी को सर्व प्रथम सड़क अतिक्रमण को खाली करवाने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त वाटर वडीज पर हुए अतिक्रमण को भी हटवाने का निदेश दिया गया।

7. भूमि विवाद

- भूमि विवाद के निपटारा के लिए अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक शनिवार को शिविर का आयोजन किया जाता है। सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निदेशित किया गया कि वे अधिक से अधिक संख्या में भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई करें एवं एक पंजी का संधारण कर सभी वादों को इसमें अंकित करना सुनिश्चित करें एवं सुनवाई के बाद वाद निष्पादन की स्थिति को भी पंजी में अंकित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Sd/-
जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 1381 / सी0, लहेरियासराय, दिनांक 10 अप्रील, 2016.

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं बैठक की कार्यवाही जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/04/16
जिलाधिकारी,
दरभंगा।

- उपरोक्त त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरते क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर असमाजिक तत्वों द्वारा इन त्योहारों के दौरान अपने लाभ के लिए अशांति फैलायी जा सकती है।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष आपस में समन्वय रखें।

6. अतिक्रमण

- सड़क पर भवन निर्माण सामग्री गिरवाया दिया जाता है, परन्तु अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा मामला पाया जाने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- हर अंचलाधिकारी को सर्व प्रथम सड़क अतिक्रमण को खाली करवाने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त वाटर वडीज पर हुए अतिक्रमण को भी हटवाने का निदेश दिया गया।

7. भूमि विवाद

- भूमि विवाद के निपटारा के लिए अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक शनिवार को शिविर का आयोजन किया जाता है। सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निदेशित किया गया कि वे अधिक से अधिक संख्या में भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई करें एवं एक पंजी का संधारण कर सभी वादों को इसमें अंकित करना सुनिश्चित करें एवं सुनवाई के बाद वाद निष्पादन की स्थिति को भी पंजी में अंकित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Sd/-
जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 1391 / सी0, लहेरियासराय, दिनांक 10 अप्रील, 2016.

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं बैठक की कार्यवाही जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।